(163)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/सीधी/भूरा/2017/2234 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—06—2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1364/अपील/2015—16.

.....

1—शिवनारायण पिता स्व0 उड़ाना पटेल
2—सत्यनारायण पिता स्व0 उड़ाना पटेल
निवासीगण ग्राम पिपरहा तहसील सिहावल
जिला सीधी म0 प्र0

---- आवेदकगण

विरूद्ध

1—मिश्रीलाल पटेल तनय शिबहोर पटेल
2—राघवेन्द्र पटेल पिता शिवबहोर पटेल
3—देवेन्द्र पटेल पिता शिवबहोर पटेल
निवासीगण ग्राम पिपरहा तहसील सिहावल
जिला सीधी म0 प्र0

---- अनावेदकगण

.....

श्री रामजीत तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अवधेश सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश
(आज दिनांक 27/03/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—06—2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार सिहावल की न्यायालय में दिनांक 14.7.14 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसके स्वत्व की आराजी कमांक 148 रकवा 0.03 है0 के अंश रकवा में अतिक्रमण होने पर तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 15.12.14 द्वारा कब्जा करने पर बेदखली के आदेश दिये जिससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई उनके द्वारा दिनांक 17.8.16 द्वारा अपील सारहीन होने से निरस्त की गई। इससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 29.6.17 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये आदेश पारित किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर तर्क किया है कि आवेदकगण न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उक्त आराजी पर अर्सा पूर्व पुस्तैनी मकान निर्मित है जो उसे पारिवारिक हिस्सा बांट में मौखिक रूप से प्राप्त हुआ है जिसकी जानकारी अनावेकगण को अर्सा पूर्व से है। आराजियों के स्वत्व को लेकर बंटनवारा प्रकरण व्यवहार न्यायालय मेंविचाराधीन है जिस कारण से जब तक व्यवहार न्यायालय से हक की घोषणा नहीं हो जाती है मौजूदा आवेदन पत्र प्रचलनशील नहीं है, निरस्त किया जाय। उभयपक्षों के प्रस्तुत साक्ष्य व तर्क पश्चात तहसीलदार सिहावल द्वारा दिनांक 15.12.14 को आवेदकगण को बेदखली का आदेश पारित किया जिसके विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी सिहावल जिला सीधी की न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 67/अपील/2014–15 में दर्ज कर उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्क व प्रकरण में उपस्थित साक्ष्य के विरूद्व दिनांक 17.8.16 को आदेश पारित करते हुये अपील निरस्त की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदित आराजी कमांक 148 रकवा 0.03 है0 में से आवेदकगण द्वारा अनावेदक को कब व किस तरह से बेदखल कर दिया गया तथा आवेदित भूमि में आवेदक का मकान निर्मित है उक्त के संबंध में कोई खण्डन व स्पष्टीकरण अनावेदक द्वारा आज तक नहीं

किया गया है। जिस कारण से धारा 250 के उपबंध का लाभ अनावेदकगण प्राप्त नहीं कर सकते है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह भी तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांक 17.8.16 में पैरा–4 में यह स्वीकार किया है कि आवेदकगण अपील में प्रश्नगत भूमि में पुराना आवासीय मकान होने का जिक किया है जिसमें यदि पुराना आवासीय मकान प्रश्नगत आराजी नं0 148 पर आवेदकगण का है तो उसे छोड़कर अपीलाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य पाया जाता है। उक्त आपत्ति से यह प्रमाणित है कि आवेदित आराजी में आवेदकगण का पुराना आवासीय मकान मौजूद है उक्त फाइंडिंग के विरूद्व अपर आयुक्त के न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। फिर भी अपर आयुक्त रीवा द्वारा उक्त आपत्ति को निरस्त कर संपूर्ण अपील निरस्त करने में घोर विधि भूल की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि निर्विवादित तथ्य है कि वादगस्त भूमि का अधिकार अभिलेख में नम्बर 58 था जिसका नया नम्बर 1990 में तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में 148 हुआ जिसका रकवा 0.03 है0 हैं यह भी निर्विवादित है कि यह भूमि पहले पियारे तनय कोलई के स्वामित्व व आधिपत्य की रही है। स्वयं आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त के न्यायलय में प्रस्तुत की गई अपील की कंडिका –ग में यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 148 पियारे पिता कोलई के स्वत्व व आधिपत्य की होकर उनके हक व हिस्से की भूमि रही हैं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिकार अभिलेख 1970 की प्रति पेश की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पियारे वल्द कोलई के स्वामित्व व आधिपत्य की रही है। आवेदकगण की आवादी आराजी नम्बर 139 पर हेजिसके प्रमाण में भी खरे पेश किये गये है। आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में कथन के दोरान भी यह स्वीकार किया गया है कि उनकी आवाजी खसरा नम्बर 139 पर हैं अवैध रूप से जो वादग्रस्त भूमि में आवादी शब्द अंकित करा लिया गया था वह विलोपित कर दिया गया है ऐसी स्थिति में आवेदकगण का यह तर्क निराधार है कि वादग्रस्त

भूमि आवादी की भूमि होने से धारा 250 के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं। अनावेदकगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदकगण द्वारा अपने निगरानी के पैरा क्रमांक 5 में जो यह बिन्दु उठाया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व कोई क्रॉस अपील अनावेदकगण के द्वारा न प्रस्तुत किये जाने के बावजूद अपर आयुक्त के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में बदलाहट कर दी गई हैं यह बिन्दु भी पूरी तरह से निराधार है। आवेदक अधिवक्ता का अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे, तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का वारीकी से पर्शीलन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में विस्तार से विवेचना की गई है। इससे यह सिद्व होता है कि अनावेदक वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी है। उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया था जिसमें आवेदक के द्वारा अवैधानिक कब्ज़ा करना पाया। अनावेदक के द्वारा कराया गया सीमांकन आज भी यथावत है। किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है। इसीलिये तहसीलदार ने संहिता की धारा 250 के तहत वादग्रस्त भूमि से बेदखली करने कब्जा सोंपने व अर्थदण्ड से अधिरोपित करते हुये आदेश पारित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया है। अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का उक्त भाग जिसमें पुराना मकान बना है को छोड़कर शेष आदेश निरस्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने संबंध आदेश अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखा गया है जिससे मैं सहमत हूँ। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 1364/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 29.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर